यालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 उनवान प्रभु बनाम छोटू ::

1. प्रभु पुत्र सुगना जाति जाट आयु बालिग
2. रामकन्या पत्नी सुगना जाति जाट
3. शिवराज पुत्र सुगना जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम झीरोता अरांई जिला अजमेर राज.। --प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र रामधन जाति जाट
2. तेजू पुत्र रामधन जाति जाट
3. रंगलाल पुत्र रामधन जाति जाट
4. गीगा पुत्र उदा जाति जाट
5. राजी पत्नी उदा जाति गुर्जर
6. काना पुत्र रामा जाति जाट
7. छोटू पुत्र रामा जाति जाट
8. सूरजकरण पुत्र रामा जाति जाट
9. कर्मा पुत्र चतुर्भुज जाति जाट
10. गोपी पत्नी चतुर्भुज जाति जाट
11. नन्दलाल दत्तक पुत्र काना जाति बैरवा
12. रामकरण पुत्र कल्याण जाति बैरवा
13. हगामा पुत्र कल्याण जाति बैरवा

सर्व निवासी ग्राम झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 18/8/2023

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 52/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता पटवार हल्का झीरोता भू.अ.नि. ढसूक जिसके खाता संख्या 269 के खसरा संख्या 858 रकबा 2.4270 हैक्टैयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 858 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 04.06.2019 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 14 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से क़रतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की झीरोता पटवार हल्का झीरोता भू.अ.नि. ढसूक जिसके खाता संख्या 269 के खसरा संख्या 858 रकबा 2.4270 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान करने की [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested

2. दिनाकं 01.07.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 एवं 05 से 09 [illegible] 11 से 14 की और से कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 04 हमारे समक्ष उपस्थित हुये तथा निवेदन किया अप्रार्थी संख्या 04 को पडौसी खातेदारान की भूमि से सीमाज्ञान करवाकर कब्जा दिलवाया जावे। दिनांक 02.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तथा 05 से 09 एवं 11 से 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने तथा अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 13.07.2023 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता पटवार हल्का झीरोता भू.अ.नि. ढसूक जिसके खाता संख्या 269 के खसरा संख्या 858 रकबा 2.4270 हैक्टैयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 858 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 04.06.2019 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 14 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की झीरोता पटवार हल्का झीरोता भू.अ.नि. ढसूक जिसके खाता संख्या 269 के खसरा संख्या 858 रकबा 2.4270 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] प्रदान कराने की कृपा करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम झीरोता, पटवार हल्का हल्का झीरोता स्थित भूमि खसरा संख्या 858 रकबा 2.4270 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/-रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/- रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested